Date :17/12/2025

सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)
(प्रधान पीठ / उत्तरी क्षेत्रीय पीठ)

विषय :सुन्नी जल विद्युत / पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान सतलुज नदी में हो रही अवैध खनन एवं मलबा डंपिंग के संबंध में शिकायत|

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं यह आवेदन जनहित में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे द्वारा इस आवेदन के साथ संलग्न की गई तस्वीरों एवं समाचार पत्रों की कतरनों से यह स्पष्ट होता है कि **हिमाचल प्रदेश के खेड़ा क्षेत्र में सुन्नी जल विद्युत / पेयजल परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान भारी मात्रा में मलबा सीधे सतलुज नदी में डाला जा रहा है।**

निर्माण स्थल पर जेसीबी मशीनों द्वारा पहाड़ी कटान किया जा रहा है तथा निकला हुआ मलबा बिना किसी वैज्ञानिक व्यवस्था के नदी की ओर गिराया जा रहा है। इससे **सतलुज नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है तथा जलीय जीवन और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है।**

समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार इस मामले में **माननीय एनजीटी द्वारा पहले भी संज्ञान लिया गया है** तथा प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं वन विभाग को जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद मौके पर मलबा डंप करने की गतिविधियाँ जारी हैं।

यह कार्य **पर्यावरण संरक्षण नियमों एवं नदी संरक्षण के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन** है, जिससे वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में भी क्षेत्र के लोगों और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। **अतः माननीय अधिकरण से निवेदन है कि इस गंभीर विषय पर हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।**

निवेदन / प्रार्थना

माननीय अधिकरण से विनम्र प्रार्थना है कि:

1. सतलुज नदी में हो रही अवैध मलबा डंपिंग को तुरंत प्रभाव से रोका जाए।
2. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा वन विभाग की संयुक्त टीम से स्थल निरीक्षण करवाया जाए।
3. नदी में डाले गए मलबे को हटाने एवं नदी की सफाई के आदेश दिए जाएँ।
4. नियमों का उल्लंघन करने वाली निर्माण एजेंसी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।
5. जनहित एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक आदेश पारित किए जाएँ।

संलग्नक (ANNEXURES)

संलग्नक–A

समाचार पत्रों की कतरनें, जिनमें सुन्नी जल विद्युत परियोजना की डैम साइट खेड़ा में सतलुज नदी में अवैध मलबा डंपिंग एवं एनजीटी द्वारा संज्ञान लेने का उल्लेख है।

संलग्नक–B
निर्माण स्थल की तस्वीरें, जिनमें जेसीबी मशीनों द्वारा पहाड़ी कटान कर मलबा सीधे सतलुज नदी की ओर डाला जाना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
संलग्नक–C
₹371 करोड़ की सुन्नी पेयजल / जल विद्युत परियोजना से संबंधित प्रकाशित समाचार।
संलग्नक–D
सतलुज नदी में मलबा फेंकने के मामले में माननीय एनजीटी द्वारा जांच के आदेश एवं संयुक्त समिति गठित किए जाने से संबंधित समाचार प्रमाण।
संलग्नक–E
आवेदक का पहचान पत्र (पैन कार्ड की प्रति)।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन के साथ संलग्न सभी संलग्नक सत्य एवं वास्तविक हैं तथा जनहित में प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

आवेदक

महेंद्र वर्मा
Vill. Galah
P.O. Dharogra
Teh. Sunni
Distt. Shimla 171019
Mob. 8968871248
E.Mail. Journalisml@gmail.com

सुन्नी जल विद्युत परियोजना की डैम साइट खैरा में सतलुज नदी में मलबे की अवैध डंपिंग

शिकायत के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लिया संज्ञान, प्रदेश प्रदूषण बोर्ड सदस्य सचिव को जांच आदेश

मोहन चौहान/महेंद्र वर्मा/देवभूमि मिरर

सोलन। सुन्नी जल विद्युत परियोजना डैम साइट खैरा में अप्रोच रोड और टनल निर्माण के दौरान सतलुज नदी में मलबे की अवैध डंपिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सतलुज नदी अवैध डंपिंग के मामले में केंद्रीय कृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल में एक शिकायत दर्ज की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला को पत्र लिखकर मामले की जांच व कार्रवाई का जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता यशवंत वर्मा निवासी बठोरा, डाकघर पंदोआ, तहसील सुन्नी जिला शिमला ने आरोप लगाए हैं कि 382 मेगावाट सुन्नी जल विद्युत परियोजना की डैम साइड खैरा में अप्रोच रोड और टर्नल निर्माण में

पर्यावरण को ताक में रखकर ब्लास्टिंग की जा रही है साथ ही इसका मलवा अवैध तरीके से सतलुज नदी में फेंका जा रहा है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना है। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी कि यदि अवैध डंपिंग को नहीं रोका गया तो प्रभावित पंचायतों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ेगा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डैम साइड ब्लास्टिंग से प्रभावित पंचायतों के मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा है। शिकायत के मुताबिक कंपनी ने आज तक प्रभावित पंचायतों को उन्होंने बताया कि इस परियोजना निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है और अप्रोच रोड और टनल निर्माण से निकलने वाले मलबे की डंपिंग किस जगह तय की है। ऐसे में प्रभावित पंचायतों के लोग कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने केंद्रीय शिकायत पोर्टल में मौके की तस्वीरें भी डाली है। वही केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल में डाली गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रभागीय प्रमुख आईपीसी नाजिम उद्दीन ने सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मामले की जांच व कार्रवाही का जवाब मांगा है। सुन्नी जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन ने शिकायत को लेकर अनभिज्ञता जताई है।

371 करोड़ रूपए से होगा सतलुज उठाऊ पेयजल योजना शकरोड़ी का निर्माण

निर्माणधीन कंपनी पर लग रहे एनजीटी की गाइड लाइन की अवहेलना के आरोप

महेंद्र वर्मा/

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2050 की आबादी तक पेयजल पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके लिए विश्व बैंक की मदद से सुन्नी के शकरोड़ी में सतलुज पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तीन चरणों में बनने वाली इस परियोजना के प्रथम चरण में शकरोडी में करीब 371 करोड़ रूपए से वॉटर प्योरिफिकेशन टैंकों का निर्माण निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना से शिमला शहर को रोज 42 एमएलडी पानी मिलेगा। योजना के मुताबिक यह कार्य 2025 तक पूरा होगा। पर निमार्णाधीन कंपनी पर एनजीटी की गाइडलाइन की अवहेलना के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि शिमला जल प्रबंधन निगम अधिकारी इससे अनभिज्ञ है। मौके की स्थिति के मुताबिक निमार्णाधीन साइट से नहीं की तरफ गिराया मलबा साफ नजर आ रहा है जबकि जल निगम के मुताबिक कंपनी को डपिंग साइट दी गई है। लिहाजा अवहेलना पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

तीन चरणों में होगा निर्माण : जानकारी की मुताबिक सतलुज पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य तीन चरणों में पूरा होगा। दूसरा चरण देवीधार दवाड़ा और तीसरे चरण का निर्माण दुमी में होगा यहां से संजौली तक पानी पहुंचेगा। परियोजना के लिए विश्व बैंक ने शिमला जल प्रबंधन निगम को 1200 करोड़ मंजूर किए हैं। संजौली से शिमला शहर के पानी के टैंकों तक सतलुज पेयजल योजना का पानी पहुंचेगा। योजना का मुख्य उद्देश्य शिमला में 2050 की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वर्तमान में शिमला की विभिन्न योजनाओं से रोज 48 एमएलडी पानी सप्लाई होता है।

सतलुज नदी में मलबा फेंकने पर एनजीटी सख्त

मामले की जांच के लिए गठित की प्रदूषण बोर्ड और वन विभाग की संयुक्त कमेटी.

शिमला (पुष्पेंद्र वर्मा)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सतलुज नदी में मलबा फेंकने पर कड़ा संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड और वन विभाग की संयुक्त कमेटी का गठन किया है। कमेटी को आदेश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर जांच करे और यदि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उस स्थिति में उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई की जाए।

चिंतला गांव की मीरा ठाकुर ने पत्र के माध्यम से एसजेवीएन पर सुन्नी में सुरंग का मलबा नदी में डालने का आरोप लगाया है। ट्रिब्यूनल के समक्ष शिकायत की गई है कि मरोला से चिंतला गांव तक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करवा रहा है। सुरंग निर्माण से मलबे को सीधे सतलुज नदी में फेंका जा रहा है। नदी के साथ-साथ वन को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पत्र पर संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीएफओ शिमला को इसकी जांच करने का जिम्मा सौंपा है। अपने आदेशों की अनुपालना के लिए ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने दो माह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है।

सतलुज नदी में अवैध डंपिंग

प्रदूषण बोर्ड सदस्य सचिव को दिए जांच के आदेश

फोकस हिमाचल, शिमला/सोलन

सुन्नी जल विद्युत परियोजना डैम साइट खैरा में अप्रोच रोड और टनल निर्माण के दौरान सतलुज नदी में मलबे की अवैध डंपिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सतलुज नदी अवैध डंपिंग के मामले में केंद्रीय कृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल में एक शिकायत दर्ज की गई है।

इसका संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला को पत्र लिखकर मामले की जांच व कार्रवाई का जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता यशवंत वर्मा निवासी बठोरा, डाकघर पंदोआ, तहसील

सुन्नी जल विद्युत परियोजना की डैम साइट खैरा में हो रही डंपिंग का दृश्य।

सुन्नी जिला शिमला ने आरोप लगाए हैं कि 382 मेगावाट सुन्नी जल विद्युत परियोजना की डैम साइड खैरा में अप्रोच रोड और टर्नल निर्माण में पर्यावरण को ताक में रखकर ब्लास्टिंग की जा रही है साथ ही इसका मलवा अवैध तरीके से सतलुज नदी में फेंका जा रहा है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना है।

शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी कि यदि अवैध डंपिंग को नहीं रोका गया तो प्रभावित पंचायतों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ेगा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डैम साइड ब्लास्टिंग से प्रभावित पंचायतों के मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा है। शिकायत के मुताबिक कंपनी ने आज तक प्रभावित पंचायतों को उन्होंने बताया कि इस परियोजना निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है और अप्रोच रोड और टनल निर्माण से निकलने वाले मलबे की डंपिंग किस जगह तय की है। ऐसे में प्रभावित पंचायतों के लोग कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने केंद्रीय शिकायत पोर्टल में मौके की तस्वीरें भी डाली हैं।

वहीं, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल में डाली गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रभागीय प्रमुख आईपीसी नाजिम उद्दीन ने सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मामले की जांच व कार्रवाई का जवाब मांगा है। सुन्नी जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन ने शिकायत को लेकर अनभिज्ञता जताई है।

समाज का दर्पण
देवभूमि मिरर
दैनिक समाचार पत्र
सोलन/सिरमौर

सुन्नी जल विद्युत परियोजना की डैम साइट खैरा में सतलुज नदी में मलबे की अवैध डंपिंग

शिकायत के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लिया संज्ञान, प्रदेश प्रदूषण बोर्ड सदस्य सचिव को जांच आदेश

मोहन चौहान/महेंद्र वर्मा/देवभूमि मिरर

सोलन। सुन्नी जल विद्युत परियोजना डैम साइट खैरा में अप्रोच रोड और टनल निर्माण के दौरान सतलुज नदी में मलबे की अवैध डंपिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सतलुज नदी अवैध डंपिंग के मामले में केंद्रीय कृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल में एक शिकायत दर्ज की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला को पत्र लिखकर मामले की जांच व कार्रवाई का जवाब मांगा है। शिकायतकर्ता यशवंत वर्मा निवासी बठोरा, डाकघर पंदोआ, तहसील सुन्नी जिला शिमला ने आरोप लगाए हैं कि 382 मेगावाट सुन्नी जल विद्युत परियोजना की डैम साइड खैरा में अप्रोच रोड और टर्नल निर्माण में

पर्यावरण को ताक में रखकर ब्लास्टिंग की जा रही है साथ ही इसका मलबा अवैध तरीके से सतलुज नदी में फेंका जा रहा है जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अवहेलना है। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी कि यदि अवैध डंपिंग को नहीं रोका गया तो प्रभावित पंचायतों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ेगा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि डैम साइड ब्लास्टिंग से प्रभावित पंचायतों के मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा है। शिकायत के मुताबिक कंपनी ने आज तक प्रभावित पंचायतों को उन्होंने बताया कि इस परियोजना निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है और अप्रोच रोड और टनल निर्माण से निकलने वाले मलबे की डंपिंग किस जगह तय की है। ऐसे में प्रभावित पंचायतों के लोग कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने केंद्रीय शिकायत पोर्टल में मौके की तस्वीरें भी डाली है। वही केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पोर्टल में डाली गई शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रभागीय प्रमुख आईपीसी नाजिम उद्दीन ने सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मामले की जांच व कार्रवाही का जवाब मांगा है। सुन्नी जल विद्युत परियोजना के प्रबंधन ने शिकायत को लेकर अनभिज्ञता जताई है।

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

MAHENDER LAL

CHET RAM

[illegible]5/07/1981

Permanent Account Number

AJTPL3956A

Signature